बिहार विधान सभा वादवृत्त

बुधवार, तिथि ५ अप्रैल, १९५०।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने में बुधवार, तिथि ५ अप्रैल १९५०, को १० बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

तारांकित प्रश्नोत्तर

Starred Questions and Answers.

शाहाबाद जिले के कोयले के डीलर।

†*१३०। श्री शिवनन्दन राम: क्या मूल्य नियंत्रण विभाग के माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) शाहाबाद जिले में कितने कोयले के डीलर हैं, उनमें कितने पुराने हैं और कितने नये हैं;

(ख) कोयले के डीलरों में कितने हरिजन हैं;

(ग) क्या यह सही है कि हीरालाल नामक एक हरिजन पुराने कोयले के डीलर हैं जिन्होंने अनेक बार कोयले के कोटे के लिये सरकार के पास आवेदन दिया है;

(घ) यदि खंड (ख) और (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो श्री हीरालाल को कोयले का कोटा नहीं मिलने का क्या कारण है?

श्री बीरचन्द्र पटेल: (क) शाहाबाद जिले में २७ कोयले के व्यापारी हैं जिनमें १७ पुराने और १० नये।

† यह प्रश्न तिथि २१ मार्च से स्थगित है।

*माननीय सदस्य की अनुपस्थिति में श्री रामगुलाम चौधरी के निवेदन करने पर उत्तर दिया गया।

विधान कार्य [Legislative Business.]

सरकारी विधेयक [Official Bill.]

दि बिहार लैण्ड रिफौर्म्स बिल, १९४९ [१९४९ की वि० सं० २४]—क्रमशः ।

The Bihar Land Reforms Bill, 1949 [Bill no. 24 of 1949]—*contd.*

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय: अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त यह संशोधन पेश किया गया था तो मैंने इसे नहीं मजूंर करने की वजह हाउस को बतला दी थी। हमारी कोशिश यह जरूर रहेगी कि proprieters को जो हम compensation का रुपया दें उसी में से जो revenue या cess बाकी पड़ गया है वह वसूल कर लें। आप जानते हैं कि revenue या cess बहुत दिनों से बाकी है। इसलिये proprietors के लिये यह वाजिब है कि उसे अदा कर दें। यदि compensation से वह रकम वसूल नहीं हो सकती है तो कोई वजह नहीं है कि दूसरे तरीके से जो कानून के जरिए से खुला हुआ है, हम revenue या cess वसूल न करें। इसलिये मैं समझता हूं कि जो प्रबन्ध इसके लिये रखा है वह वाजिब है। आज यदि हम without prejudice to any other mode of recovery को हटा देते हैं तो मालूम नहीं कि हम जमींदारी उन्मूलन कानून को कब लागू कर सकेंगे। इस दरमियान में जितने जमींदार हैं वे revenue या cess देना बन्द कर देंगे। नतीजा यह होगा कि जब compensation से वसूल करेंगे तो इतना ज्यादा deduction करना पड़ेगा कि practically उनको कुछ compensation नहीं मिलेगा। इसका परिणाम यह होगा कि public interest में जो हम compensation देने वाले हैं वह मकसद हमारा पूरा नहीं होगा। इसके अलावे जो local bodies हैं उनको cess नहीं मिलने से उनका काम बन्द हो जायगा। इसलिये इन शब्दों का बिल में रहना जरूरी है ताकि हम जमीन्दारों को जो देना चाहते हैं वह दे सकें।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि: That in sub-clause (*c*) of clause 4 of the Bill, the words "without prejudice to any other mode of recovery" occurring in lines 7 and 8 be omitted.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

† श्री सैयद अमीन अहमद : Sir, I beg to move :

That in sub-clause (g) of clause 4 of the Bill, for the words "any person in possession of such estate or tenure or any part thereof" in lines 6 and 7 the words "the proprietor or the tenure-holder concerned who is in possession of such estate or tenure or any part thereof" be substituted.

जनाब सदर, हमलोगों को इस बिल के सिलसिले में बड़ी-बड़ी तालीम मिल रही है। नये-नये कानून हमलोगों को बताये जा रहे हैं जो आज तक हमलोगों ने नहीं सुने थे। चुनांचे उन नई और अनोखी बातों में एक अनोखी बात यह है कि आप जमीन्दारी ले रहे हैं जमीन्दारों की या tenure-holder की तो जो चीज जमीन्दार या tenure holder के कब्जे में हो उसे आप कानून के मुताबिक ले सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त यह फरमाते हैं कि अगर हम किसी estate को लें और उस estate के किसी हिस्से में कोई third party मालिक हो जो न जमीन्दार है न tenure-holder है तो उसको हमारे दोस्त जिस तरह चाहें और जब चाहें बेदखल कर कब्जा कर लें। अभी तक लोग समझते थे कि जमीन्दारी खत्म हो रही है मगर जमीन्दारी के रू से नये हक दिये जा रहे हैं।

आप जरा ध्यान दें।

Where, by operation of this Act, the right to the possession of any estate or tenure or any part thereof vests in the Crown, the Collector, may, by written order served in the prescribed manner, require any person in possession of such estate or tenure or any part thereof to give up possession of the same by a date specified in the order, and it shall be competent for the Collector to take, or cause to be taken, such steps and use, or cause to be

---

† मा० सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।

used, such force as, in the opinion of the Collector, may be necessary for securing compliance with the said order or preventing any breach of the peace. सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपको नोटिस देने का हक है बल्कि नोटिस देकर और armed force भेज कर by military methods आप कब्जा कर सकते हैं।

यानी यह सब कुछ इसमें है। वे मार्शल ला भी इसी section के रू से जारी कर सकते हैं। कोई right किसी citizen को रह ही नहीं सकता है। जो Democracy २६ जनवरी से मिली है उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इसके बाद Collector को यह अखितयार दिया जाता है कि वह armed force के साथ जिसको चाहे गोली मार दे, जिसको चाहे हटा दे और जिस चीज को चाहे कब्जे में कर ले। आप कानून के रू से जमीन्दारी को ले सकते हैं और आपको इसका हक है। मगर एक third party को यह हक दे देते हैं कि वह जिस तरह से चाहे किसी को कब्जे में कर ले। न वह Court के पास जा सकता है और न उसकी कोई सुनवायी हो सकती है। आप Courts के power को भी छीन रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता कि आप किस किस्म की हुकूमत चलाना चाहते हैं। पहले अंग्रेजों को कहा जाता था कि petty minds से Empire को नहीं चला सकते हैं। इस किस्म की mentality से, इस outlook से एक constitutional हुकूमत चलाने का हक आपको नहीं है और न आपसे चल ही सकता है। हमारा कहना है कि petty mind से आप एक Republican Government को नहीं चला सकते हैं। अगर किसी किस्म का legal document हो, ऐसी हालत में भी Collector बगैर नोटिस के दखल कर सकता है। इसमें न कोई provision hearing का है और न अपील का मौका है। अगर कोई चीज एक शख्स के हाथ में सौ वर्ष से है तो सिर्फ एक नोटिस देकर उससे वह चीज छीन ली जा सकती है और इसकी सुनवाई भी नहीं होगी। अभी कुछ दिन हुए महमूद

साहब ने यह कहा था कि consolidation of holding के लिये रूस में गोली चली और लाखों किसानों को मरना पड़ा। जमीन्दार दो तरह के हैं—एक जो constitutional rights के लिये legal तरीके से लड़ रहे हैं और दूसरे जो मेरे दोस्त के खुशामद में लगे हुए हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। Third party वह है जो स्टेट को कब्जे में किये हुए है। उस पार्टी को हटाने के लिये उनके खुशामदी जमीन्दार जो हैं वे कलक्टर के पास जाकर कहेंगे कि फलाने आदमी का १०० वर्ष से कब्जा है। इस तरह आप खुशामदी जमीन्दार के लिये बहुत बड़ा दरवाजा खोल देते हैं तो हर किस्म का नाजायज़ दरवाजा खोल रहे हैं। आपको यह सोचना चाहिये कि यह एक बहुत बड़ा अहम सवाल है और सबसे बड़ा objection तो इस पर यह है कि यह unconstitutional है।

<u>माननीय अध्यक्ष</u> : आप उन सब बातों को ही दुहरा रहे हैं जो पहले कह चुके हैं।

<u>श्री सैयद अमीन अहमद</u> : मैं दुहरा नहीं रहा हूं, बल्कि गिनवा रहा हूं। गोया तीसरी पार्टी के खुशामद का दरवाजा खुल जाता है। According to law इसको आप law नहीं बना सकते हैं। Article 31 के रू से आप किसी को dispossess नहीं कर सकते हैं। आपको reasonable होना चाहिये। No person shall be deprived of his property except by authority of law. मैं कहता हूं कि अगर ऐसा नहीं कीजियेगा तो यह public policy के बिल्कुल खिलाफ है। यह किसानों के खिलाफ जायगा जो आदमी १२ वर्ष से अपने कब्जे में रखे हुए हैं उसे आप छीन लेना चाहते हैं। Government ने यह कानून बनाया है कि जमीन १२ वर्ष अगर किसी के कब्जे में रही तो वह उसी को समझी जायगी। इसको आप तोड़ना चाहते हैं without any enquiry. आप ऐसा करना चाहते हैं जिससे पब्लिक में बहुत हलचल मच जायगी। मुझे दूसरी बात यह कहनी है कि जमीन्दारों ने बहुत charity का काम किया है। आप clause

(d) से उसको dispossess कर सकते हैं। किसी जमीन्दार ने अपनी जमीन्दारी का कुछ हिस्सा किसी religious purpose के लिये अलग कर दिया है—२०-२५ या १०० वर्ष से exclusively इस काम के लिये, तो आप clause (d) के मुताबिक छीन सकते हैं। Any person in possession of such estate or tenure or any part thereof may be required to give up possession of the same. मैं कहता हूं कि Government इसको null and void करने के लिये तैयार है। मेरे दोस्त अभी उठकर कह देंगे कि मैं assure करता हूं कि ऐसा नहीं होगा। Assurance से काम नहीं चलता है। इसके लिये कोई provision बना देना चाहिये। आपके जवाब का कोई भरोसा नहीं है, न आपके जवाब से कानून को कोई फायदा होगा। अगर मेरे दोस्त मानते हैं कि इसमें खतरा है तो इसको तरमीम कर दें। १९४६ के बाद से अगर किसी किस्म का transfer हुआ है तो आप enquiry करके मालूम कर लें तब उनको आप null and void कर सकते हैं। Clause (h) जो आपने इसमें रखा है वह नहीं चल सकता है। जनाब सदर, आखिरी objection मेरा यह है, मान लीजिये कि आप इसको किसी ground पर रखना चाहते हैं तो उस matter के लिये जरूर इस किस्म का provision बना दीजिये। जहां तक Civil Court का ordinary procedure है उसको Government को खुला रखना चाहिये। Government को एक party होनी चाहिये और दूसरी तरफ दूसरे आदमी को दूसरे party होने देना चाहिये और Government इन्साफ करे। ऐसा करने से एक शख्स को इन्साफ मिल सकता है। आप हरगिज इन्साफ का दरवाजा यहां बन्द न कीजिए। आप कहते हैं कि जमीन्दार लोग बड़े अमीर आदमी हैं। हां, जो अमीर हैं वे दिल्ली आ सकते हैं और बड़े-बड़े वकील रख सकते हैं, लेकिन वे जमीन्दार जो गरीब हैं वे कैसे दिल्ली जा सकते हैं। उनके पास इतने रुपये कहां हैं? उनके पास तो सिर्फ दस या पन्द्रह बीघे जमीन रहती है। यदि उनके लिये इन्साफ का दरवाजा बन्द कर दीजियेगा तो बड़ी जुर्म हो जायगी और वह गरीब जमीन्दार

मर जायगा। वह कहीं का न रह जायगा। आपको Civil Court के दरवाजा को बन्द कर देने का कोई हक नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो अन्याय करते हैं इसको सब कोई realise करता है।

चौथी बात जो most objectionable है वह use of force की है।

<u>माननीय अध्यक्ष</u>: Force के बारे में तो आपने कोई संशोधन नहीं दिया है।

<u>श्री सैयद अमीन अहमद</u>: आप जो बड़े जमीन्दार हैं उनके खिलाफ force use कीजिए लेकिन third party के खिलाफ force use करना most objectionable है। आप सारा काम Police और अपने Collector के जरिये से करना चाहते हैं। आप police राज्य कायम करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आपको strength power of voting का है। आप जो चाहें सो कर सकते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि हमलोगों के पास spiritual power है, आत्म-शक्ति है जो आपको जीत कर रहेगी।

जनाब सदर, मैं आपसे अपील करूंगा और सारे House से अपील करूंगा कि मेरी बात को मान लें और आप इन्साफ करें। आप कहते हैं कि मैं Government को बदनाम करना चाहता हूं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। मैं आपको बदनामी से बचाना चाहता हूं और कोशिश करूंगा कि आप गढ़हे में न गिरें।

<u>माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय</u>: जनाब सदर, जहां तक constitutional position का सवाल है उसको मैं आपके सामने रख देता हूं और मैं अपने दोस्त से भी कहूंगा कि उसको वे ठीक तरह से जान ले। मैं article 31 (4) को आपके सामने रखता हूं।

(4) If any Bill pending at the commencement of this constitution in the Legislature of a State, has, after it has been passed by such Legislature, been reserved for the consideration of the President and has received his assent, then, notwithstanding anything in this Constitution the law so assented to shall not be called in question in any court on the ground that it contravenes the provisions of clause (2).

अब clause (2) क्या कहता है उसको मैं पढ़ देता हूं।

(2) No property, movable or immovable, including any interest in, or in any c mpany owning any commercial or industrial undertaking shall be taken possession of or acquired for public purposes etc...

मेरे दोस्त को मालूम होना चाहिये कि जो लोग Supreme Court या कोई Court में जायंगे वे हमारे दोस्त अमीन अहमद साहेब से कभी राय न लेंगे या फूटी नजर से भी इनकी ओर देखेंगे। यदि हम अपने दोस्त की बात मान लें न तो हम जमीन्दारी को कभी भी न ले सकेंगे। आपको मालूम है कि बहुत से जमीन्दार लोग बांध, अहर, पाइन, मुर्दघट्टी, कब्रिस्तान वगैरह बन्दोबस्त कर चुके हैं और कर रहे हैं। Register D को देखने से पता चलेगा कि अमुक आदमी जमीन्दार हैं और उन्होंने दूसरे के नाम से अपनी जमीन्दारी बन्दोबस्त कर दी है। इस तरह से हमको जमीन्दारी लेने में बहुत मुश्किल हो जायगी और हम जमीन्दारी नहीं ले सकेंगे।

इस क्लौज से किसानों को कोई नुकसान नहीं है। अमीन साहब जमीन्दारों के representative भले ही हों लेकिन किसानों के representative बनने की कोशिश न करें। किसानों के साथ तो tenancy बन्दोबस्त किया गया है लेकिन क्लौज ४ (g) में "estate" का लब्ज इस्तेमाल किया गया है। इसलिए यह किसानों को affect नहीं करता है।

श्री सैयद अमीन अहमद: जनाब सदर, हमारे दोस्त कहते हैं कि यहां पर unconstitutional के बारे में बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि यदि यह बिल unconstitutional है तो null and void declare कर दिया जायगा। हमलोगों को इसका पूरा तजुर्बा है कि किस तरह जमीन्दारी एबोलीशन ऐक्ट null and void declare होने के डर से repeal कर दिया गया। हमलोगों को बेकार परीशान किया जाता है और करोड़ों रुपये बर्बाद किये जाते हैं। अब सवाल यह है कि सचमुच यह बिल unconstitutional है या

नहीं। मेरे दोस्त के लिए क्लौज ४ ही जान की तान है या यों कहिए कि डूबते को तिनके का सहारा है। मैं कहता हूं कि आप क्यों यह presume करते हैं कि आपको President का assent मिल ही जायगा। आप जानते हैं कि जब शुरू शुरू जमींदारी अबोलीशन बिल पास हुआ था उस वक्त गवर्नर-जेनरल ने अपना assent नहीं दिया था। और मैं तो समझता हूं कि, जैसा glaringly unjust यह कानून है, President इसपर अपना assent नहीं देंगे।

"Tenure" का definition Tenancy Act में दिया है कि जिस किसान के पास १०० बिगहा जमीन है वह रैयत नहीं समझा जायगा। इसलिए यह क्लौज उसको भी affect करेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार मेरी बातों को मान ले जिससे उनके साथ इन्साफ हो। आप कहते हैं कि जमींदार हर तरह से transfer कर रहे हैं और न मालूम और कैसे कैसे transfer करेंगे। यह भी आपने कहा कि Register D में notice देने से फर्जीदार कह सकता है कि यह उसकी चीज है और दूसरे आदमी भी कह सकते हैं यह उसकी चीज है। मुझे तो अफसोस है कि Revenue Department के minister होते हुए भी अपने department के working से मेरे दोस्त इस कद्र ignorant हैं कि यह मेरी समझ के बाहर की बात है। Date of execution से ४ महीने के अन्दर उसको Land Registration Officer के यहां दरखास्त देनी होगी अपना नाम Register D में enter करवा लेने के लिये। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसको सजा हो सकती है।

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : क्या सजा होगी ?

श्री सैयद अमीन अहमद : उस पर मुकद्दमा चल सकता है, जुर्माना हो सकता है। जनाब सदर, ४ महीने पहले उनको यकीनी notice मिल जायगी। मेरे दोस्त तो मान चुके हैं कि १९४६ के पहले अगर transfer हुआ है तो उसको मानने में हुकूमत को एतराज नहीं है। इस बिल में आपने कानून यह रखा है कि १९४६ के बाद जो transfer हुआ है उसके बारे में आप enquiry करेंगे कि

यह transfer genuine है या fraudulent है। तो मेरे दोस्त का मतलब क्या है कि १९४६ के पहले जो transfer हुए हैं उसके बारे में enquiry करेंगे। मैं हुकूमत से इस point पर साफ जवाब चाहता हूं और यह मेरा right है। अगर मुझे जवाब नहीं मिलता है तो हम समझेंगे कि आप arbitrary तरीके पर काम करना चाहते हैं और आपकी नीयत ठीक नहीं है। Clause 4 (*h*) में आपने तो provision रख दिया है कि १९४६ के बाद जो transfer हुआ है उसके बारे में Collector enquiry करके report देंगे। इसके बाद फिर clause (*g*) का रहने का माने क्या है! आप उनको ऐसा transfer से भी बेदखल करना चाहते हैं। जो मिसाल आपने दिया है कि जमींदार लोग transfer कर रहे हैं, तो इस किस्म के difficulty को meet करने के लिये तो clause (*h*) मौजूद है। जनाब सद्र, हम लोगों का काम है कि logic, reason और fact द, अगर हुकूमत reasonable हो तो reason और logic को मानना चाहिये। मगर मेरे दोस्त तो imaginary दलील which has no existence in reality देते हैं। It has no substance, it is a groundless argument. शुद्ध हिन्दी में तो इसको थोथी दलील कहा जाता है।

मेरे दोस्त ने यह भी कहा है कि जमींदार लोग मुझको उनके वकील रखेंगे। मुझे तो तअज्जुब है कि हुकूमत भी मुझे वकील रख सकता! हो सकता है कि जमींदार को हजारीबाग से experienced वकील मिल जायगा। मेरा तो वकील का पेशा नहीं है। अगर यह पेशा मेरा होता तो हुकूमत को शायद ही बम्बई और दिल्ली से रोज ५ हजार fees पर वकील बुलाने की जरूरत पड़ती और यह सब खर्च बच जाता।

आखीर में मेरे दोस्त ने कहा है कि हम जमींदार के प्रतिनिधि है, किसान के नहीं। आप जाकर मेरे constituency का electoral roll देख लीजिये कि ९९% किसानों ने हमको vote दिया है। क्या हम किसी landholders के constituency से आये हैं? General constituency से जिस तरह से आप लोग आये हैं ठीक उसी तरह

से हम भी आये हैं इसलिये जितना भर हक आपको है किसान के प्रतिनिधि बनने का उससे कम हक मेरा नहीं है। किसानों ने हो हमको अपना प्रतिनिधि बनाकर इस House में भेजा है।

मुझे यकीन है, जनाब सद्र, कि President साहेब हरगिज इस बिल पर assent नहीं देंगे।

<u>माननीय अध्यक्ष</u>: राष्ट्रपति (President) के आचरण (conduct) पर आप कुछ नहीं कह सकते । आप सिर्फ सरकार के जवाब तक ही अपने को सीमित रखें।

<u>श्री सैयद अमीन अहमद</u>: Article 31 (4) में सिर्फ यह है कि compensation.................

<u>माननीय अध्यक्ष</u>: आप की दलील तो यह नहीं है कि any person in possession of a state or tenure को बिना compensation dispossess कर दिया जाय।

<u>श्री सैयद अमीन अहमद</u>: हम कह रहे हैं कि compensation के सवाल पर clause (4) मदद कर सकता है लेकिन compensation के अलावे अगर ऐसा कानून बने जो under article 13 sub-clause 2 null and void हो तो उस वक्त clause (4) मदद नहीं करेगा।

The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of contravention, be void. इसलिए मेरा कहना है कि clause (4) बेकार है। अब रही contravene करने की बात तो जैसा कि मैं ने पहले कहा है यह ....

<u>माननीय अध्यक्ष</u>: आप यह सब कह चुके हैं। दोहराने की जरूरत नहीं है।

श्री सैयद अमीन अहमद : खैर, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो गरीब ५ बीघा के जोतने वाले हैं उनमें तो कूवत नहीं होगी लेकिन हो सकता है कि कोई public spirited आदमी तैयार हो जाय और Supreme Court तक पहुंच जाय और उस Court का यह हुक्म हो कि कानून null and void है तब हमारे दोस्त की आंख खुलेगी ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :—

खंड ४ के उपखंड (*g*) में for the words "any person in possession of such estate or tenure or any part thereof" in lines 6 and 7, the words "the proprietor or the tenure-holder concerned who is in possession of such estate or tenure or any part thereof" be substituted.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : अब श्री नौमान का संशोधन है कि sub-clause (h) को हटा दिया जाय । इसके बाद और जो संशोधन हैं उन्हें पहले ले लिया जाय और तब बाद में यह संशोधन उपस्थित होगा ।

फिर श्री सैयद अमीन अहमद के जो संशोधन हैं, जिनका संबंध Mines और Minerals से है, उनके बारे में इस सभा ने clause 4 में अपनी राय दे दी है । इसके अलावे any land के बारे में, interest cease कर जायेगा, इसके बारे में, primarily के बारे में, और other than homestead के बारे में भी यह सभा अपनी राय दे चुकी है । इसलिये इन सब बातों को फिर पेश करना उचित नहीं है ।

श्री सैयद अमीन अहमद : हुजूर, यहां तो transfer और enquiry का सवाल है । २ वर्ष पहले जो transfer हो चुका है उसकी enquiry की जाय और उसको रद्द किया जाय ।

माननीय अध्यक्ष : आपका संशोधन transfer के लिये कहां है ?

श्री सैयद अमीन अहमद : पूरा clause ही transfer के लिए है ।

मानमीय अध्यक्ष: इस सम्बन्ध में तो सभा की राय हो चुकी है। शब्द primarily के बदले शब्द solely....................

श्री कामाख्या नारायण सिंह: Primarily और solely दोनों को हटा दिया जाय और उसके बाद जो है उसे take up करें।

माननीय अध्यक्ष: मैं श्रीरामेश्वर प्रसाद सिंह, श्री कामाख्या नारायण सिंह और श्री तारानन्द सिंह के संशोधनों को, जो ५६, ५७ और ५८ में हैं, अनियमानुकूल (out of order) घोषित करता हूं। अब रहा अमीन साहब का agricultural land के बारे में संशोधन। इसमें मैं जानना चाहता हूं कि वे क्या कहना चाहते हैं।

श्री सैयद अमीन अहमद: इससे मेरा मतलब यह है कि agricultural land के लिये जो transfer हुआ है उसकी enquiry की जाय।

माननीय अध्यक्ष: Transfer की बात कहां है! यह अलग चीज है।

श्री सैयद अमीन अहमद: जी नहीं; transfer और enquiry की बात इसी में है। इसमें लिखा हुआ है कि the Collector shall have the power to make enquiry in respect of settlement or lease of any land or mines or minerals. हम सिर्फ transfer के बारे में कहना चाहते हैं। यह एक specific बात है। इसलिये हम अपना amendment पेश करना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष: आप अपने इस सम्बन्ध के सभी संशोधनों को एक साथ पेश करें तो अच्छा हो।

श्री सैयद अमीन अहमद: Sir, I beg to move:

(1) That in clause 4 (h) of the Bill for the words "any land" the words "any agricultural land" be substituted; और

(2) In lines 3 & 4 the words "or mines or minerals" be omitted.

माननीय अध्यक्ष: आपका मतलब यही है कि Agricultural land के अलावे और जितनी जमीन है उसमें जांच की जरूरत नहीं है।

श्री सैयद अमीन अहमद: जी हां। Enquiry की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त यह चाहते हैं कि January 1946 के बाद से किसी किस्म का settlement या lease किसी जमीन या Mines या Minerals का हुआ हो तो उसके बारे में मेरे दोस्त यह अख्तियार लेना चाहते हैं कि Collector enquiry करे और उसके बाद जिसको चाहे approve करे या null and void करे। जनाब सदर, हम अपने दोस्त को mines और minerals के बारे में बतलाना चाहते हैं कि sub-clause (*h*) का जो provision है वह clause 10 के खिलाफ है। मेरे दोस्त का कहना है कि 1st January 1946 के बाद जो lease mines and minerals के बारे में है, उसके बारे में enquiry करने का हक उनको है। और उसको cancel वगैरह करने का भी हक उन्हीं को है। Clause 10, page 16 में दिया हुआ है:... "Notwithstanding anything contained in this Act, where immediately before the date of vesting of the estate or tenure there is a subsisting lease of mines or minerals comprised in the estate or tenure or any part thereof, the whole or that part of the estate or tenure comprised in such lease shall, with effect from the date of vesting, be deemed to have been leased by the Provincial Government to the holder of the said subsisting lease for the remainder of the term of that lease, and such holder shall be entitled to retain possession of the lease—hold property". हमें Section 10 से कोई objection नहीं है। मेरे दोस्त जानते हैं कि Governor General के approval से यह Section 10 रखा गया है। Central Government से हिदायत आई थी उसीके मुताबिक इसको रखा गया है। अगर Section 10 अपनी जगह पर रहे तो यह provision conflicting हो जायगा। Mines या Minerals के बारे में Shri Chouhan साहेब समझें कि यह lease holder

का मामला है जिससे हमको सरोकार कम है। लेकिन हमारी duty है कि जहां आपके law में inconsistency रहे उसको बता दें। मानना या न मानना यह आपका अख्तियार है और हम जानते भी हैं कि आप कभी नहीं मानियेगा।

मानीय अध्यक्ष : ऐसी हालत में दोनों संशोधनों को अलग-अलग सभा के सामने उपस्थित करना होगा।

श्री सैयद अमीन अहमद : जी हां। अलग-अलग रखना मुफीद होगा। जनाब सदर, land के बारे में अभी तक जो हम लोग समझते आये हैं वह यही है कि Land Reforms के लिये आप यह Bill लाये हैं। इसका मतलब यह होता है कि Agricultural land के सिवा दूसरे land का सवाल इस Bill के अन्दर नहीं आता है। अगर कोई settlement या transfer इस period में हुआ हो, तो आपको अख्तियार है कि उस पर enquiry करायें, लेकिन non-agricultural land के बारे में आपको enquiry कराने का हक नहीं है। इसके अलावे अहर और बांध के बारे में किसी को अख्तियार नहीं है कि उसको settle करे। लेकिन अहर या बांध agricultural purpose के लिये होना चाहिये और ऐसा recorded हो। आप गैरमजरूआ खास को भी settle कर सकते हैं। ऐसा करने से production बढ़ जायगा। यही मेरे कहने का मतलब था जिसको इन्होंने साफ कर दिया।

हमारे दोस्त का कहना है कि जमीन्दारों ने अहर और बांध को settle कर दिया है। मगर ऐसी बात नहीं है। Mines और minerals के बारे में principle मान लिया गया है। इसलिये sub-clause (h) से इसको हटा देना चाहिये।

मानीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : जनाब सदर, पहले जब मेरे दोस्त अमीन साहेब कुछ amendment move करते थे तो उसमें कुछ sense रहा करता था, मगर इस बार जो amendment उन्होंने move किया है उसमें क्या sense है वह हमारी समझ में नहीं आता है।

"Any agricultural land" इसका मतलब यह होता है कि किसी जमीन्दार ने किसी agricultural land को बन्दोबस्त किया है तो मैं उसे जांच करा कर ही दखल कर सकूंगा। अगर कोई जमीन खेती के लायक है तो उसको छोड़ दिया जायगा जिसमें production बढ़े। अमीन साहेब अपने को हरिजन और जनता का दोस्त कहते हैं मगर उनका action ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके कहने के मुताबिक सब जमीन बन्दोबस्त करना ठीक नहीं है। यानी जमीन्दार के खिलाफ Civil Court में किसी गरीब आदमी का मुकदमा करना बहुत आसान है। मगर मजबूरन हमको सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है। आप जानते हैं कि गरीब आदमी सिविल कोर्ट में किसी जमीन्दार पर मुकदमा नहीं कर सकता है। इसलिये burning ground, कब्रिस्तान वगैरह, गैरमजरुआ आम जमीन्दारों ने बन्दोबस्त कर दिया। मेरी मंशा यह है कि इस तरह की जबर्दस्ती बिल्कुल गैरवाजिब है। अगर यह कानून पास हो जायगा तो हम कलक्टर के पास लिख देंगे कि इस तरह के settlement को वे कैन्सिल कर दें। Mines and minerals के बारे में कहा है कि Section 4 (*h*) और Section 10 के provision में विरोध है। आप देखेंगे कि mines में विरोध क्या है। आप उसके शब्दों को गौर करेंगे तो देखेंगे कि इसमें क्या है। If the Collector is satisfied that such settlement, lease or transfer were made or created with the object of defeating any of the provisions of this Act. अगर इसके मुताबिक किसी ने बन्दोबस्त किया है। हम जानते हैं कि जमीन्दारों ने फरजी बन्दोबस्त किया है। बहुत सी जमीनें ऐसी बन्दोबस्त की गई हैं जो mines के काबिल नहीं है, महज इसलिये किया है कि इस Act को defeat करने के लिये।

<u>श्री सैयद अमीन अहमद:</u> मेरे दोस्त ने कहा है कि इस Amendment का क्या sense है हम नहीं समझ सके। I can give him facts, I can give him figures but I cannot make my friend, the Hon'ble the Revenue Minister understand. समझ का

power तो खुद ब-खुद पैदा होता है, वह हमलोग नहीं दे सकते हैं। जो मेरा एतराज था उसका जवाब मेरे दोस्त ने नहीं दिया है। मेरा एतराज यह था कि अगर illegal settlement किसी जमीन्दार ने किया है उसके लिये provision बनाया गया है तो illegal settlement के लिये पहले ही से provision बना हुआ मौजूद है। उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि कब्रिस्तान, या Burning Ghat को जमीन्दारों ने बन्दोबस्त कर दिया है, मगर इस एतराज का कोई जवाब नहीं दिया है। जिस बात की कोई जरूरत नहीं है उसका जवाब देते हैं। मैं पूछता हूं कि गैरमजरुआ खास और जो मालिक की जमीन परती है—उसको अगर बन्दोबस्त किया है तो उससे किसी को क्या नुकसान है। यह कहते हैं कि १०० बीघा अगर गैरमजरुआ जमीन थी, अपने भाई के साथ बन्दोबस्त कर दिया, यह बिल्कुल गलत है। इससे defeat करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अब रहा गोरायती लैण्ड, तो आपको मालूम होना चाहिये कि ये सब Agricultural land में और Homestead में शामिल है।

<u>माननीय अध्यक्ष</u>: शान्ति-शान्ति। माननीय सदस्य को मालूम नहीं है कि उनको भी इस बिल पर बोलने का हक है।

<u>श्री सैयद अमीन अहमद</u>: वे लोग सब कौंग्रेस पार्टी के हैं, इसलिये नहीं बोलेंगे सिर्फ शोर मचावेंगे। तो मैं कह रहा था कि गोरायती लैण्ड और Homestead land सब Agricultural land में शामिल है।

जनाब सदर, हमारे दोस्त इतना भी नहीं चाहते हैं कि इसको writing में कह दें जिसमें हमलोगों को तशफ्फी हो जाय। मैं अपने दोस्त से कहना चाहता हूं कि Criminal Procedure Code का एक Section १३३ है जिसके जरिये से आप अच्छी तरह से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं जो मुर्दघट्टी, कब्रिस्तान वगैरह बन्दोबस्त करते हैं और उसको आप cancel करा सकते हैं। आप के लिये पहिले ही से Law में इन्तजाम किया गया है। इसके लिये

आप अलग से क्यों एक कानून चाहते हैं। उसी तरह से बांध, अहर और पईन के लिये है। यह एक public importance की बात है और उसको कोई बन्दोबस्त करें तो आप कानून के जरिये से उसको cancel कर सकते हैं। आपको कोई हक नहीं है कि कानून के पास होने के बाद उसको हटा सकें और घटा सकें। Section 10 में कहां लिखा हुआ है कि genuine subsisting lease होना चाहिये। Genuine का लब्ज section 10 में नहीं है। मैं आप को section 10 पढ़ कर सुना देता हूं। उसमें साफ लिखा हुआ है "notwithstanding anything contained in this Act, where immediately before the date of vesting of the state or tenure there is a subsisting lease of mines or minerals etc.....................

Genuine का लब्ज इस में कहां है। यदि आप के दिमाग में हो तो हमलोगों को मालूम नहीं है।

[मध्याह्न भोजन के लिये अवकाश]

श्री सैयद अमीन अहमद। Section 10 और Section 4 (h) में conflict है। अगर section 10 को रखा जाता है तो यह जो कहा गया है कि "January 1946 के बाद enquiry की जायगी" इसे हटा दिया जाय। लेकिन अगर यह सब लिखा जाता हो तो यह inconsistent हो जाता है।

माननीय अध्यक्ष: क्यों inconsistent है।

श्री सैयद अमीन अहमद: इसको cancel करने का हक है लेकिन section 10 को cancel करने का हक एक आदमी को नहीं है। यह पहले का lease है और यह lease के खतम होने तक holder के कब्जे में रहेगा।

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय: बशर्ते कि genuine हो।

श्री सैयद अमीन अहमद: यहां बशर्ते कि का लब्ज नहीं है। इसमें है कि "Notwithstanding anything contained in this Act, where immediately before the date of vesting of the

estate or tenure there is a subsisting lease of mines or minerals comprised in the estate or tenure or any part thereof, the whole or that part of the estate or tenure comprised in such lease shall, with effect from the date of vesting, be deemed to have been leased by the Provincial Government to the holder of the said subsisting lease for the remainder of the term of that lease, and such holder shall be entitled to retain possession of the lease-hold property. आप 4 (h) से यह चीज हटा दें क्योंकि Central Government के हुक्म से Zamindari Abolition Act में यह चीज रखी गई है।

माननीय अध्यक्ष : यह भी तो गवर्नर जनरल की अनुमति (assent) से हुआ है।

श्री सैयद अमीन अहमद : जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट में "माइन्स" को भी ले लेने का अख्तियार था लेकिन गवर्नर जनरल ने नहीं माना और आखिर में इसे drop कर देना पड़ा। इसलिए क्लाज ४ (h) को हटा देना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

Clause 4 (h) में शब्द "any land" के बदले शब्द "any agricultural land" रखे जायं।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

Clause 4 (h) की पंक्ति ३-४ में से शब्द "or mines or minerals" हटा दिए जायं।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री महम्मद नोमान : मैं पेश करता हूं कि :

Clause 4 (h) में शब्द तथा अंक "first day of January, 1946" के बदले "first day of September 1949" रखे जायं।

इस संशोधन का मकसद यह है कि कलक्टर को जो अधिकार settlement को re-open करने का दिया गया है उसको वे पहली सितम्बर १९४९ के कबल वाली बन्दोबस्ती के बनिस्बत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि किसी कानून को साढ़े चार वर्ष कबल से effect देना कहां तक मुनासिब है। यह बिहार टेनेन्सी ऐक्ट और पुराने बंगाल टेनेंसी ऐक्ट, १८८५ के धाराओं के खिलाफ है।

जो मजरुआ मालिक है वह जमीन रैयतों को दी जाती है जिस वक्त वह उसे जोतता है। अब आप उसको re-settlement कीजिएगा तो पता नहीं कि आप उसीको दीजिएगा या नहीं यह एक harmful चीज है इसलिए मेरी तरमीम को सरकार कबूल कर ले।

श्री तारानंद सिंह: माननीय प्रमुख महोदय, इस संशोधन के विषय में मैं कुछ fundamentals की बातें करना चाहता हूं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि यह अख्तियार इसलिए लिया जा रहा है कि यदि कोई जमीन्दार ने इस कानून को defeat करने के लिए या ज्यादा मुआवजा लेने के लिए बन्दोबस्त कर दिया हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। इसमें लिखा है कि सन् १९४६ के १ ली जनवरी के बाद जितने बन्दोबस्ती की गयी हैं वे सब कलक्टर द्वारा re-open की जा सकती हैं। आप जानते हैं कि जनवरी १९४६ में इस सूबे में ९३ धारा की सरकार कायम थी। उस वक्त यह आशा भी नहीं की जाती थी कि जमींदारी उठायी जायगी। यह सोचना तो दूर की बात है कि मुआवजा क्या मिलेगा। इसलिए उस समय इस ऐक्ट के उल्लंघन करने या ज्यादा मुआवजा लेने के निमित्त कैसे किसी जमींदार ने बन्दोबस्ती या transfer किया होगा। यह जो कानून है उसका draft सन् १९४७ में State Acquisition of Estates and Tenure Bill के रूप में आया और उसके बहुत दिनों के बाद पास हुआ। यह मेरी समझ के बाहर की बात है कि १९४६ में कैसे यह डर उठ सकता था कि यह

कानून उल्लंघन करने की कोशिश हो सकती है। यह तो common-sense की बात है और इसके लिये मैं समझता हूं कि ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तब रही बात कि कौन तारीख मुनासिब होगी। जैसा कि हमारे मित्र नौमान साहेब ने कहा है, इसको बदल कर 1st September, 1949, रखा जाय तो मैं भी समझता हूं कि इसमें कुछ तथ्य की बात रहेगी। किसी भी कानून में retrospective effect limited scale में रखना चाहिये। यह एक अहम बात है और बहुत सोच विचार के बाद इस चीज को रखनी चाहिये। जैसा कि नौमान साहेब ने कहा है कि १९४६ में State Acquisition of Estates का कोई अस्तित्व नहीं था और मेरी समझ में यह date रखना नाजायज और illegal होगा। जितना दिन के लिये शक हो उतना दिन के लिये ही ऐसा provision रखना चाहिये। मैं समझता हूं कि यदि इस बात पर कोई अड़ जाय तो भले ही यहां से पास करवा लें मगर यह रहेगी नहीं। क्योंकि किसी भी कानून में यह अख्तियार नहीं है कि १० वर्ष से जो सुविधा दी गयी है उसको ५ वर्ष के बाद बिना किसी मुआवजे के छीन लें। इस लिये नौमान साहेब का amendment मंजूर किया जाय तो बहुत अच्छा होगा। अगर यह मंजूर नहीं हुआ तो हमें डर है कि कुछ गलतफहमी हो जायगी और मुकद्दमा बढ़ जायगा और देहात का rural economy पर धक्का पहुंचेगा। मेरे दोस्त Revenue Minister कह सकते हैं कि उन्होंने इसमें काफी safeguards रखा है कि Collector satisfied हो जाय कि कानून के उल्लंघन के लिये transfer किया था और Provincial Government से हर matter में उनको राय लेनी होगी, तो भी मैं समझता हूं कि इतना रहते हुये भी यह अच्छा नहीं होगा कि इतने दिनों का retrospective effect रखा जाय। इसलिये नौमान साहेब का amendment मान लेना ही अच्छा है।

श्री कामाख्या नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, नौमान साहब का जो संशोधन है उसको मैं support करता हूं। जिस वक्त यह Abolition Act बना था उसमें यह provision 1st January 1946 का

रखा गया था। उस समय भी हमलोगों ने कहा था कि इतने दिनों का retrospective effect देना ठीक नहीं होगा। लेकिन हमारे मिनिस्टर साहब ने कई कारणों से इसको नहीं माना। लेकिन वह repeal हो गया और फिर भी Land Reforms Bill में इतने दिनों का retrospective effect देना कहां तक मुनासिब है यह आप समझ सकते हैं। क्योंकि इसी कानून को देखा जाय। (4) (*h*) के अन्त में लिखा हुआ है कि if the Collector is satisfied that such settlement, lease or transfer was made or created with the object of defeating any provisions of this Act, or obtaining higher compensation thereunder, तो सवाल यह है कि पहली जनवरी १९४६ में तो हमारे दोस्त को भी इस बात का पता नहीं चला होगा कि Land Reforms Bill करके कोई बात सन् १९५० में सामने आयगी। तो हम लोगों को कैसे मालूम होता। लेकिन यह कह सकते हैं कि जब Abolition Bill पर consideration हो रहा था या जब यह बिल Select Committee में गई तब हमलोगों को इस बात की जानकारी हुई कि इस Act के बन जाने से जमींदारों के rights छीन लिये जायंगे। उस दिन से जो transfer जमींदारों ने किया है उसको आप भले ही कह सके हैं कि यह इस नीयत से किया गया है कि defeating any provisions of this Act, or obtaining higher compensation thereunder. लेकिन पहली जनवरी १९४६ से यह कहना कि जितने transfer हुए हैं सब इस नीयत से हुए हैं यह बिलकुल अनहोनी बात है। इसलिये मैं Revenue Minister से अपील करूंगा कि आप इस तारीख को बदलकर 1st September 1949 कर दें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो यह बात सही है कि आप तमाम rights छीन लेंगे लेकिन हजारों हजार मुकदमा दायर हो जायगा और गवर्नमेंट परेशानी में पड़ जायगी। जमींदारों को तो परेशानी होगी ही। आखिर गवर्नमेंट कहां तक यह साबित करने में कामयाब होगी कि जितने transfer हुए हैं सब in order to defeat the provisions of this Act or to obtain higher compensation thereunder,

कहना मुश्किल है। इसलिये हम अपील करेंगे कि 1st January 1946 न रख कर 1st September 1949 यानी जिस तारीख से जमींदारों को यह जानकारी हुई कि Land Reforms Bill आनेवाला है और उसके अन्दर जमींदार के rights छीने जायेंगे, उस दिन से कुछ हद तक यह माना जा सकता है कि कुछ लोगों ने इस तरह का transfer किया है। इसलिये 1st September 1949 रखना चाहिये। यह मेरी duty है कि सभी facts आपके सामने रख दें। इसके बाद यह आपकी मर्जी है उसको माने या न माने।

श्री सैयद अमीन अहमद: जनाब सदर, सबसे पहले मुझे यह कहना है कि जो provision मेरे दोस्त ने इस clause में रखा है वह बिलकुल बेमानी और बेमतलब है। यानी 1st January 1946 से जितने transfer हुए हैं उन सबकी enquiry की जाय। पहली जनवरी १९४६ की तारीख आपने क्यों चुनी यह तो मेरे दोस्त बतलायेंगे नहीं लेकिन मेरे ख्याल में इसकी वजह यह मालूम होती है कि १९४५ में election manifesto कांग्रेस की तरफ से निकाला गया उसमें यह चीज लिखी हुई थी कि जमींदारी equitable compensation देकर उठाई जायगी। इसलिये मेरे दोस्त ने यह समझ लिया था कि कांग्रेस यकीनी कामयाब होगी। पहली जनवरी से शायद nomination paper file हुआ था, फरवरी में voting हुई और मार्च में counting of votes हुआ था। तो आपका यह ख्याल कि कांग्रेस जीतेगी यह मार्च में पैदा होना चाहिये था। १ली जनवरी, १९४६ तो एक पहेली है। इसे आप समझायें। अगर कांग्रेस manifesto की वजह से यह तारीख रखी है तो इसमें यह साफ लिखा हुआ था कि equitable compensation दिया जायगा। इसलिए higher compensation के बिना पर transfer कर देने की बात बिल्कुल redundent है। यह सवाल तो उठ ही नहीं सकता है। यह बिल्कुल निरर्थक है। जिसे हम अपनी जुबान में बहकी बातें कहते हैं।

दूसरी चीज defeating any provision of the Act की बात मेरे दोस्त ने कही है। जनाब सदर, १९४७ में जब बिल लायी गई तो

उस वक्त यह अंदेशा हो सकता था कि adequate compensation नहीं मिलेगा। इसलिए transfer करके बचना चाहिये। तो इन्साफ का तकाजा यह है कि जिस दिन यह बिल introduce हुई उसी date को आप रखते तो यह जायज बात होती। लेकिन १ली जनवरी १९४६ आपने रख दिया है वह बिल्कुल गलत है। इसलिये मेरा कहना है कि आप नोमान साहब की बात मान लें। मैंने यह सारी बातें इसलिये कही हैं कि मैं जानता हूं कि मेरे दोस्त जवाब में खड़े होकर यही कहेंगे कि उन्होंने compensation के लिये अपनी जायदाद transfer करना शुरू कर दिया है। इसी बिना पर मेरा कहना यह है कि जिस दिन आपने बिल introduce किया वही date अगर रखें तो एक हद तक reasonable बात है। लेकिन 1st January बिल्कुल मोहमल है।

पहली जनवरी १९४६ रहने की खास वजह है जिसको मैं साफ कर देता हूं। रामगढ़ के राजा ने कुछ leases और transfers उस तारीख में किया है मगर इसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने किसी bad intention से किया हो। वे सब transfers या leases legally, without any bad motive and above board किये गये थे। हमारे दोस्त कहते हैं कि न जाने क्यों अमीन साहब को कर्मचारियों से लड़ाई है। तो मैं बतला देना चाहता हूं कि मुझे कर्मचारियों से बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं है और हम सिर्फ अपनी duty समझ कर कानून के defects को बताते हैं मगर हमारे दोस्त को जमीन्दारों से......

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय: अध्यक्ष महोदय, अमीन साहब motive attribute करते हैं जो मुनासिब नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: बराबर से यह परम्परा चली आती है कि एक माननीय सदस्य दूसरे माननीय सदस्य के खिलाफ व्यक्तिगत आक्षेप (personal charge) नहीं कर सकते हैं।

श्री सैयद अमीन अहमद : जनाब सदर, वाकया यह है कि गवर्नमेंट जमींदारों को सजा देनी चाहती है। बिहार की हुकूमत चन्द जमीन्दारों से नाखुश है। यह बिल जमीन्दारी उठाने के नाम पर है पर इससे जमीन्दारों को सजा करना है। जमीन्दारी उठाने से हमें कोई उज्र नहीं है। लेकिन हमलोगों का यही एतराज है कि जमीन्दारों के साथ injustice नहीं होना चाहिये। हम अपने दोस्त को समझा देना चाहते हैं कि इसमें भी दो चीजें हैं। पहली यह कि जितने settlements या transfers हुए हैं उनको मान लेना और दूसरा यह कि enquiry करके cancel करना। ऐसा करने से आप corruption का बहुत बड़ा दरवाजा खोल देंगे और बहुत से पुराने settlements टूट जायेंगे। 4½ वर्ष में जितने improvements किये गये हैं सब बेकार हो जायेंगे। इसमें जमीन्दारों का interest नहीं है। मगर example के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि किसी जमीन्दार ने एक mine का ठीका लिया और ४॥ वर्ष में उसने एक लाख रुपया invest किया और फिर यह कहा जाय कि तुम फर्जीदार हो तो यह कितना बड़ा evil हो जाता है और उसका सारा रुपया बेकार हो जाता है। इसके अलावे Collector के order पर Section 35 के मुताबिक कोई अपील भी नहीं कर सकता है।

आप कहिये कि कितना बड़ा evil है, पूरे Province पर इसका असर पड़ेगा। हर किस्म की चीज पर इसका असर पड़ेगा। जमीन्दारों का रुपया इसमें involved हो जाता है। दूसरा evil जो हमारे दोस्त कहते हैं कि transfer करके lease में दे दिया है, लेकिन यह वाकया है कि बहुत से जमीन्दारों ने family में partition किया है। Compensation लेने के लिये partition किया है। चूंकि यहां एक आदमी के जायदाद पर १५,००० मिलेगा तो compensation कम मिलता है, अगर पांच भाई हैं और joint family है तो partition करने के बाद उनकी तीन-तीन हजार की आमदनी हो गयी।

माननीय अध्यक्ष : खंड २० में साफ लिखा है कि "As if there were a partition on the date of vesting".

श्री सैयद अमीन अहमद: आपको मालूम होना चाहिये कि अगर कोई transfer हुआ है तो वह genuine हुआ है। इस पर हमारे दोस्त एतराज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिये कि हमारी जायदाद पर higher compensation के लिये partition कर दिया है तो इसमें क्या हर्ज है।

माननीय अध्यक्ष: फरजी या बेनामी कर दिया है।

श्री सैयद अमीन अहमद: ४ वर्षों से कांग्रेस राज्य आई है। अब आदमी चालाक और अकलमन्द हो गये हैं, कोई बेवकूफ नहीं है। इस तरह से कोई जायदाद फरजी नहीं कर सकता है, अगर कोई जायदाद फर्जी किया जाय तो कह देगा कि हमारी जायदाद है, आपकी नहीं। २०, २५ वर्ष पहले ऐसा किया जा सकता था, अब वह जमाना खतम हो चुका है। अब जो कुछ है वह genuine है उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष: इस तरह से आपने सारे खंड पर बहस की है।

श्री सैयद अमीन अहमद: यही तो सारे clause की रूह है। अगर रूह नहीं रहेगी तो यह मुर्दा हो जायगा। हम अपने दोस्त से फिर कहेंगे कि बेवजह वे ट्रान्सफर नहीं करें। मैं आखिरी बात compensation के मुत्तल्लिक कहूंगा। Compensation जो non-negotiable bond की शक्ल में मिलेगा। गोया एक कागज मिल जायगा। लोगों को आप बिना जरूरत परेशानी में डालते हैं, मगर हम कहते हैं कि आप खुद परेशानी में पड़ जाइयेगा।

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय: प्रमुख महोदय, हमलोगों के यहां कहावत है कि "जादू वह जो सर पर नाचे" वही कहावत मुझे आज याद पड़ रही है। जब से जमीन्दारी टूटने की चर्चा चली है, उस वक्त से जमीन्दार अपनी जमीन्दारी को बरबाद करने पर तुल गए हैं। कहीं आहर का बन्दोबस्त किया, कहीं पोखरा का बन्दोबस्त, कहीं गैरमजरूआ जमीन को बन्दोबस्त किया, चूंकि उनकी नीयत खराब थी।

आज नोमान साहब यह amendment लाते हैं कि 1st day of January, 1946 की जगह पर 1st day of September, 1919 रखा जाय। इसके पहले जो कुछ बन्दोबस्त हुआ है, उसके मुत्तल्लिक अब हमलोगों के पास क्या रह जायगा। जमीन्दारों के हाथ से चूंकि जमीन्दारी जा रही है इसलिये उन्होंने Anti-social-propaganda शुरू कर दिया है। इसको हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं, न हाउस का कोई सदस्य मानेगा। वे हमको परेशान करना चाहते हैं। मगर वे खुद परेशान होंगे। उन्होंने बाजार, हाट या जो रास्ता बस्ती में जाता है सब बन्दोबस्त कर दिया है। तो ये बन्दोबस्त करने वाले का कसूर है और बन्दोबस्त लेने वाले का भी कसूर है। इसलिये नोमान साहब को ऐसा संशोधन लाने से कोई फायदा नहीं होगा। सन् १९४५ में जब हमलोगों ने Election contest किया था, उसी समय हम लोगों ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि equitable compensation देने के बाद जमीन्दारी ले ली जायगी। जमीन्दार भाई को जब मालूम हो गया तब उनलोगों ने जमीन्दारी उन्मूलन को frustrate करने की कोशिश की। इस सूबे के लोगों की राय के खिलाफ काम किया। नोमान साहब ने जो संशोधन पेश किया है उसका मतलब यही है कि गैरमजरुआ आम जमीन, तालाब, चारागाह, Burning ground और कब्रिस्तान वगैरह को बन्दोबस्त करके हमारे जमीन्दारी ऐक्ट को upset करने की कोशिश की। आप हमको भूल भूलैया में नहीं डाल सकते हैं दूसरे को डाल सकते हैं। दफा १३२ का मतलब हम खूब समझते हैं, इसका मतलब है कि evidence वगैरह लाकर उसको खराब करने की कोशिश करना। मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत ताकतवर हैं, मगर मैं कलक्टर को रेवेन्यू ऐजेन्ट का power दे दूंगा कि उस power के जरिये इस नाजायज सेटेलमेन्ट को cancel कर दे सकता है।

श्री नन्दकिशोर नारायण लाल: अभी जो amendment नोमान साहब ने पेश किया है उसका मैं विरोध करता हूं। इससे किसानों को मेरी समझ में फायदा नहीं होगा। जमीन्दारी लेने का मतलब यही है कि किसानों को जल्द से जल्द फायदा पहुंचे। 6 (a) (i) में लिखा है कि

"proprietors private lands let out under a lease for a term of years or under a lease from year to year, referred to in section 116 of the Bihar Tenancy Act, 1885" तो इसके मतलब से फायदा उठाकर जमीन्दार जो जमीन किसानों के हाथ में २० या २५ वर्षों से चली आती थी उस पर दो या चार रुपया बढ़ाकर पट्टा साल-साल का कायम करते हैं और इस तरह से उनसे जमीन को भी ले लेते हैं। दूसरी बात जो माननीय मंत्री ने कही है कि गैरमजरुआ, आम जमीन और चवर वगैरह को भी बन्दोबस्त कर दिया गया है सो ठीक है। इस तरह (village life) गांव का जीवन भी खतम हो गया है और इन amenities of village life के बिगड़ जाने से गांव का नकशा भी बदल जायेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन मानने योग्य नहीं है।

*श्री मुहम्मद अब्दुल गनी: जनाब सदर, मिनिस्टर साहब ने कहा है कि बांध, पोखर, सड़क वगैरह की बन्दोबस्ती कर दी गई है तो मेरा कहना है कि इसके लिये तो आप एक Land Encroachment Bill ला रहे हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसमें काफी punishment दिया हुआ है और वह Select Committee में गई है। मेरे दोस्त कह रहे हैं कि ऐसा measure ले लेते हैं कि इससे किसानों को फायदा होगा। यह बिलकुल गलत है। जिस दिन यह कानून लागू हो जायेगा उस दिन आपके कर्मचारी लोग किसानों को बहुत तंग करेंगे। खास महाल के रहने वाले लोग इस चीज को महसूस करते हैं। मालगुजारी नहीं देने वालों पर वे लोग certificate जारी करेंगे। इसलिये हम समझते हैं कि यह किसानों के हित के लिये नहीं होगा बल्कि किसानों के लिये यह मौत का घाट होगा।

माननीय अध्यक्ष: आपका मतलब १ली जनवरी १९४६ के बाद से है।

*माननीय सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।

श्री बन्दीराम ओरांव: जी, हां। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। हमारे छोटानागपुर में ज्यादेतर गैर मजरुआ आम जमीन है और हमारे जमीन्दार लोग इसको बन्दोवस्त कर दिये हैं। इससे वहां के लोगों को बहुत नुकसान होगा क्योंकि वे लोग ज्यादेतर उसी पर निर्भर करते हैं। यहां तक कि गांव का रास्ता और छप्पर तक की बन्दोवस्ती कर दी गयी है। इसलिये मैं नौमान साहब का जो संशोधन है कि १९४६ से बदल कर इसको १९४९ कर दिया जाय इसका मैं विरोध करता हूं।

हमारे छोटानागपुर में जो जमीन जनता की है वह कभी भी बन्दोवस्त नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं इस संशोधन का बहुत जोर से विरोध करता हूं।

श्री मुहम्मद नौमान: जनाब सदर, मैं जानता हूं कि हमारे मिनिस्टर साहब ने एक फैसला कर लिया है कि चाहे कितना भी अच्छा सुझाव हो उसे नहीं माना जाय। हमने उन्हें बताया कि यह बिल Limitation Act के खिलाफ है। हमने यह भी कहा कि यह बिहार और बंगाल टेनेंसी ऐक्ट के खिलाफ है। लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। आपने कहा है कि जमींदार लोग आहर, पोखर, गैरमजरुआ आम और कब्रिस्तान तक बन्दोवस्त कर रहे हैं। आपने यह भी कहा कि जमींदार लोग scorch earth policy इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर यही उनकी मंशा है तो मैं कहूंगा कि "any land" के बदले "Gair Mazarua Am आहर, पोखर और कब्रिस्तान" रखें तब हमें कोई एतराज नहीं होगा। आप जानते हैं कि आपके officials इतना corrupt हो गए हैं और आपको फिर उन्हें corrupt होने का मौका नहीं देना चाहिए।

आपकी यही मंशा है तो इसमें साफ-साफ लिख देना चाहिए। जमींदारों के लिए तो मुसीबत है। अगर fallow land को आबाद नहीं करें तो कहा जाता है कि food production में मदद नहीं करते हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो उनपर यह तोहमत लगाया जाता है।

अगर आपका मकसद यह है कि any land के बदले Gair Mazarua land, pokhar, burning ground वगैरह लिख दें तो हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि you do not mean what you say. Land encroachment Bill ला रहे हैं तो इस बिल में any land रखने का क्या मतलब है। इसका नतीजा यह होगा कि इसके interpretation में अफसर लोग तरह तरह की दिक्कत पैदा करेंगे और आपको अपने अफसरों की honesty पर इतना यकीन रखना ठीक नहीं है। इससे corruption का दरवाजा और भी खुल जायगा। यदि आप lands को qualify कर दें तो 1st January 1946 के बदले 1st January 1901 भी रख दें तो हम लोगों को कोई एतराज नहीं होगा और hundred per cent आपका साथ देंगे।

मानननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

that in clause 4 (*h*) of the Bill for the words and figures "first day of January, 1946," the words and figures "first day of September, 1949", be substituted.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

*श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह (गया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

खण्ड ४ (एच) के तेइसवीं पंक्ति में शब्द "object" के पहले, शब्द "sole" रखा जाय।

जनाब स्पीकर साहब, मेरा ख्याल है कि लब्ज 'sole' के जोड़ देने से गवर्नमेंट का जो मतलब है वह और साफ हो जाता है। चूंकि Collector को सब power दे दिये गये हैं इसलिये इस शब्द के नहीं रखने से और सिर्फ object लिख देने से गड़बड़ी होने का अन्देशा है। अगर यह ख्याल है कि खास इसी गरज से transaction हुआ है तो ऐसी हालत में sole का लब्ज जोड़ देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। हमको सिर्फ इतना ही कहना है कि इस शब्द के रखने से गवर्नमेंट का intention वाजेह हो जाता है इसलिये मिनिस्टर साहब को इसे मंजूर कर लेने में मेरे ख्याल में उज्र नहीं होगा।

* माननीय सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।

श्री सैयद अमीन अहमद : जनाब सदर, लब्ज sole रखने के लिये जो तरमीम मेरे दोस्त लाये हैं यह बिलकुल सही है । इसकी वजह यह है कि जब इस तरह के सारे अख्तियारात Collector को दिये जा रहे हैं तो फिर इस लब्ज का नहीं रखना कोई मानी नहीं रखता । अबतक हम यह समझते थे कि मेरे दोस्त (श्री कृष्णवल्लभ सहाय) कांग्रेस कमिटी के resolution को मानते हैं कि Executive से Judiciary को अलग होना चाहिये और यह accepted principle है कि Executive से इस तरह के जितने अख्तियारात हैं वे ले लिये जाने चाहिए। मगर हमें यह देखकर हैरत हुई कि आज मेरे दोस्त सन् १९५० में खड़े होकर यह फरमाते हैं कि कचहरी पर हमको faith नहीं है और गवाही शहादत वगैरह हम नहीं चाहते हैं बल्कि हम सारे powers Collector को दे देना चाहते हैं । मैं बार-बार कहता हूं और फिर यह दुहराना चाहता हूं कि आप Constitution के directive को देखें । वहां यह साफ लिखा हुआ है कि Executive के हाथ से अख्तियारात लेकर Judiciary को दे देना चाहिये । मैं पूछता हूं कि मेरे दोस्त को क्या हक है कि Constitution के directive principle के खिलाफ खड़े होकर ऐसी बात कहें । जनाब सदर, उनके लिये यह कह देना आसान है कि हमको Court पर faith नहीं है । मगर उनको मालूम होना चाहिये कि जनता को अगर faith है तो Court of Law ही पर है । अफसरों पर या Revenue Minister पर या उनकी गवर्नमेंट पर जनता को faith नहीं है । वह चाहती है कि Executive से power लेकर Judiciary को दे दिये जाएं ।

बहर हाल, जनाब सदर, जब मेरे दोस्त चाहते हैं कि Collector के हाथ में सब कुछ रहे तो वैसी हालत में sole का लब्ज जरूर लिख देना चाहिये ताकि Collector साहब को कोई बदगुमानी नहीं हो । आपको Collector पर confidence है लेकिन जो लोग District Officers की हालत जानते हैं वे बतला सकते हैं कि आज अगर आप कोई permit या license लेने के लिये जाते हैं तो कितना खर्च

करना पड़ता है। पहले Public Fund में काफी चन्दा देना पड़ता है तब license या permit मिलता है। अगर किसी को Arms का license लेना हुआ तो उस वक्त तक license नहीं मिलता है जब तक ५००) रुपया Public Fund में चन्दा नहीं दिया जाय। मेरे दोस्त समझते हैं कि उनके अफसर angels हैं लेकिन मैं जानता हूँ कि किस तरह unauthorised चन्दा लोगों से लिया जाता है।

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : जनाब सदर, अमीन साहब बिलकुल गलत बोल रहे हैं। वह हम पर remark कर सकते हैं लेकिन अफसरों की इस वक्त शिकायत नहीं कर सकते हैं।

श्री सैयद अमीन अहमद : हम बिलकुल सच्ची बात कह रहे हैं और इसके लिये facts and figures देने को तैयार हैं। हम जानते हैं कि २६ जनवरी को आपके अफसरों ने unauthorised चन्दा लोगों से लिया है।

माननीय अध्यक्ष : अफसरों के बारे में आप ये बातें नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आप यह कह सकते हैं कि कलक्टर का निर्णय ठीक नहीं होता है।

श्री सैयद अमीन अहमद : मेरा मतलब यही है कि Collector का decision ठीक नहीं हो सकता है। इसलिये कि वह डरता है कि गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक फैसला नहीं करेंगे तो हमारी तरक्की नहीं होगी। इसीलिये हमलोगों ने यह तजवीज पेश की थी कि Executive से Judiciary का power ले लिया जाय क्योंकि सही judgment की उनसे उम्मीद नहीं है। Collector के Judgment पर किसी को confidence नहीं रहता है। हमलोगों का एतराज यही है कि आप executive officers को बहुत बड़ा अख्तियार दे रहे हैं जो बहुत ही नामुनासिब है। आप बिलकुल नये तरीके का कानून बनाना चाहते हैं। यह power Civil Court को दे सकते हैं मगर किसी Executive officer को देना मुनासिब नहीं है। आप इस तरीके से एक नया Revenue cum Criminal Procedure Code बनाने जा रहे हैं।

आग्र अफसरों का राज्य कायम करना चाहते हैं और खुद महाराजा बनना चाहते हैं जिसको हमलोग कभी नहीं मान सकते हैं। हमलोगों को इससे जो mischief का अन्देशा है उसको sole जोड़ करके कम कर देना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि District Officer हर जिले का ruler हो जाता है। जिसको चाहे वह बेदखल कर सकता है। In the year of grace, 1950, we cannot tolerate this sort of thing कि राजा जो चाहे कर दे। आप सारे progress को खतम कर दे रहे हैं और दो सौ वर्ष पीछे हमलोगों को खींचना चाहते हैं जब राजा शिताब राय बिहार के गवर्नर थे।

मानतीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : मैं इसका विरोध करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि : खण्ड ४ (h) की २३वीं पंक्ति में "object" के पहले शब्द 'sole' रखा जाय।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभा बृहस्पतिवार, तिथि ६ अप्रैल, १९५० के ११ बजे दिन तक स्थगित की गई।

बि० ग० प्रेस रांची (एल० ए०) ६३—६२१—६·३·१९५१—प० च० मिश्र।